न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 130/2016

युधिष्ठर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सॉंतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. छीतरसिंह पुत्र भजनलाल
2. घमण्डी पुत्र भूरी
3. उधमसिंह पुत्र भूरी
4. हीरालाल पुत्र दामोदर
5. रामवीर पुत्र किशनसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र किशनसिंह
7. उत्तमसिंह पुत्र किशनसिह
8. मुकेश पुत्र किशनसिंह

जाति जाट निवासी ग्राम सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

9. गोविन्दा पुत्र सुखपाल
10. घूरे पुत्र सुखपाल

जाति नाई निवासी सॉंतरूक तहसील कुम्हेर जिला जिला भरतपुर

11. हजारी पुत्र गोरधन
12. छीतर पुत्र गोरधन

जाति जाट निवासी सॉंतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 17.03.2011 तहसीलदार कुम्हेर बाबत इन्तकाल नम्बर 1290 वाकै ग्राम सॉंतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थित :–
1–श्री विजयसिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–रैस्पोडेन्टान अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 17.03.2011 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 1290 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

ग्राम सॉतरूक तहसील कुम्हेर रैस्पो0 के [illegible] स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1290 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी रजिस्टर्ड डांक से कराई गई है। रैस्पो0 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः वकील अपीलान्ट की एक तरफा में बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 1290 ग्राम सॉतरूक आदेश डिक्री सहायक कलक्टर मुख्यालय भरतपुर दिनांक 06.01.2001 की पालना में खोला गया है उस डिक्री की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है तथा डिक्री की पालना दिनांक 26.06.2008 को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा स्थगित किया हुआ है ऐसी सूरत में स्टे के बाबजूद उक्त नामान्तरकरण खोला गया है जो कि हर सूरत में निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि नामान्तरकरण के जरिये अपीलान्ट के नाम खसरा नम्बर 1604 पर इन्द्राजों को कलमजन किया गया है जबकि तथाकथित डिक्री जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है में अपीलान्ट पक्षकार ही नहीं था जो ऐसी सूरत में नामान्तरकरण जेर अपील प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तहत अदालत ने नामान्तरकरण को स्वीकार करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1590 जिसकों कि नामान्तरकरण जेर अपील में अंकित किया गया है वह राजस्व अभिलेख में घमण्डी आदि की गैर खातेदारी में दर्ज था तथा गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने के न तो डिक्री व आदेश में कोई भी अंकन है और न ही राजस्थान सरकार मुकदमें में पक्षकार थी ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 1590 को सिवायचक दर्ज करना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं करके बिना किसी आदेश के गैर खातेदारी से खातेदार अंकित करते हुये रैस्पोडेन्टान के नाम दर्ज कर दिया है जो कि निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी जाहिर किया है कि नामान्तरकरण जेर अपील आराजी मुतनाजा व डिक्री पर स्थगन होने के उपरान्त जिन व्यक्तियों के नाम कलमजन किये गये है वो बिना सुनवाई व कोई अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध स्वीकार किया है जिसकी कोई म्याद नहीं होती परन्तु नामान्तरकरण की कोई भी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। अपीलान्ट को नामान्तरकरण की सर्व प्रथम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जानकारी दिनांक 10.08.2016 को उस समय हुई जब अपीलान्ट अपने उक्त खसरा नम्बर की नकल लेने के लिए हल्का पटवारी के पास खाता संख्या की जानकारी करने गया तो हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नम्बर आपके नाम न होकर दीगर लोगों के नाम है जिसकी जानकारी करते हुये अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2016 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.08.2016 को नकल प्राप्त हुई उसके बाद अपीलान्ट बीमार हो गया इस प्रकार अब यह अपील नकल प्राप्त होने की तिथि से अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद मानी जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 17.03.2011 जो कि मुताबिक डिक्री रैस्पो0 के नाम दिनांक 17.03.2011 खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि नामान्तरकरण खोले जाने की दिनांक को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 26.06.2008 द्वारा सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 06.01.2001 की पालना स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये है। पत्रावली में उपलब्ध मुकुलात से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 06.01.2001 के खिलाफ अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील पेश की हुई है, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने दिनांक 26.06.2008 को सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 06.01.2001 की पालना स्थगित किये जाने का आदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने अपील में दिनांक 07.08.2018 को निर्णय पारित करते हुये सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 06.01.2001 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुन: निर्णय किये जाने हेतु सहायक कलक्टर (मुख्यालय) भरतपुर को रिमाण्ड किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त विवेचन से निर्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 17.03.2001 स्वीकार आदेश दिनांक को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का स्थगन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

युधिष्ठर बनाम छीतर सिंह
अपील संख्या 130 / 2016

आदेश प्रभाव में था। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का स्थगन प्रभाव में रहते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नियमों के विरूद्ध होने से समर्थन योग्य नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1290 दिनांक 17.03.2011 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)